न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)
(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नं0:– 27/21

छत्तरपाल पुत्र पूरन जाति जांगिड ब्राहम्ण निवासी वीरमपुरा, तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान

— प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान

2. अशोक कुमार पुत्र पूरन जाति जांगिड ब्राहम्ण निवासी वीरमपुरा, तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा व 136
राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांकः– 17/4/26

उपस्थितिः– श्री सुन्दर शर्मा एड0 प्रार्थी

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवन्यू एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम वीरमपुरा तहसील बयाना जिला में स्थित साविक आराजी खसरा नम्बर 229 रकवा 50 वीघा 03 विस्वा के वर्तमान सैटिलमेंट रिकार्ड में नवीन, आराजी खसरा नम्बरान 705 रकवा 0.09, 724 रकवा 0.40, 725 रकवा 0.16, 726 रकवा 0.16, 727 रकवा 0.08, 728 रकवा 0.08, 729 रकवा 0.12, 730 रकवा 0.11, 731 रकवा 0.11, 734 रकवा 0.17, 735 रकवा 0.16, 736 रकवा 0.12, 737 रकवा 0.12, 738 रकवा 0.12, 739 रकवा 0.13, 740 रकवा 0.33, 741 रकवा 0.34, 742 रकवा 0.01, 743 रकवा 0.18, 744 रकवा 0.02, 745 रकवा 0.01, 746 रकवा 0.01, 747 रकवा 0.03, 748 रकवा 0.04, 749 रकवा 0.06, 750 रकवा 0.01, 751 रकवा 0.32, 752 रकवा 0.05, 753 रकवा 0.02, 754 रकवा 0.03, 755 रकवा 0.03, 756 रकवा 0.03, 757 रकवा 0.02, 758 रकवा 0.01, 759 रकवा 0.05, 760 रकवा 0.02, 761 रकवा 0.53, 762 रकवा 0.30, 763 रकवा 0.16, 764 रकवा 0.18, 765 रकवा 0.05, 766 रकवा 0.16, 767 रकवा 0.07, 768 रकवा 0.10, 769 रकवा 0.17, 770 रकवा 0.17, 771 रकवा 0.01, 772 रकवा 0.17, 773 रकवा 0.05, 774 रकवा 0.21, 775 रकवा 0.32, 776 रकवा 0.30, 777 रकवा 0.32, 778 रकवा 0.01, 779 रकवा 0.64, 1162 रकवा 0.03, 1163 रकवा 0.02, 1164 रकवा 0.04, 1165 रकवा 0.04, 1166 रकवा 0.06, 1245 रकवा 0.18, 760/1937 रकवा 0.08, किता 62 कुल रकवा 8.22 हैक्टै0 बनाये गये है कि जिनकी वावत मिलान क्षेत्रफल संलग्न है, प्रार्थी एवं अन्य सह खातेदारान साविक खसरा नम्बर 229 में हिस्सा मुताविक जमाबन्दी खातेदार काश्तकार एवं काविज आराजी रहे है, सैटिलमेंट रिकार्ड में सैटिलमेंट कर्मचारियों द्वारा बनाये गये नवीन आराजी खसरा नम्बरान 1164 रकवा 0.04, 1841 रकवा 0.01, 744 रकवा 0.02, किता 3 कुल रकवा 0.07, हैक्टै0 का वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थी एवं प्रार्थी का भाई अशोक कुमार वहिस्सा बराबर के रिकार्डेड खातेदार दर्ज है, उपर वर्णित साविक आराजी या इसका कोई भाग कभी भी गैर मुव0 रास्ता के रूप में नहीं रहा है और न आज ही मौके पर है लेकिन सैटिलमेंट कर्मचारियों ने आराजी खसरा नम्बर 1164 रकवा 0.04, है0 की किस्म बदल दी है और इस आराजी के पूरे रकवे को गैरमुवकिन रास्ता दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थी की यह आराजी कभी भी रास्ते के रूप में नहीं रही है और न मौके पर आज ही कोई रास्ता है प्रार्थी की उक्त भूमि कृषि भूमि है और मौके पर फसल बोई और काटी जाती रहीं है, राजस्व नक्शा अक्स में भी प्रार्थी की इस आराजी को रास्ता के रूप में दर्शाया गया है जो पुराने रिकार्ड नक्शा व जमाबंदी के इन्द्राज के विपरीत है इस प्रकार से प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1164

रकवा 0.04, है0 की वावत सैटिलमेंट कर्मचारियों द्वारा किस्म गै0मु0रास्ता दर्ज किये जाने की सहवन भूल हुई है, जो कि दुरूस्ती योग्य है।

अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आराजी खसरा नम्बर 1164 रकवा 0.04 है0 स्थित ग्राम वीरमपुरा की वावत राजस्व रिकार्ड में किस्म गै0मु0रास्ता के स्थान पर चाही दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार बयाना को प्रकरण में रिकार्ड व मौके की रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार बयाना ने अपने पत्रांक/एलआर/22/4188 दिनांक 19.02.2022 से प्रकरण में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बयाना ने अपनी उक्त रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम वीरमपुरा के साविक ख0न0 229 रकवा 50 बीघा 3 विस्वा से नये खसरा नम्बरान के साथ ख0 न0 1164 रकवा 0.04 है0 किस्म गै0मु0रास्ता मुताबिक मिसल बंदोबस्त बनाया गया है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड खसरा नम्बर 1164 रकवा 0.04 है0 किस्म गै0मु0रास्ता छत्तरपाल पुत्र पूरन हिस्सा 1/2 व अशोक कुमार पुत्र पूरन हिस्सा 1/2 जाति जांगिड ब्रा0 सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मौके पर खसरा नम्बर 1164 में रास्ता बना हुआ है तथा ग्रामीणों द्वारा आवागमन के उपयोग में लिया जा रहा है।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी को एकपक्षीय सुना। एड0 प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत 2031 की प्रमाणित प्रति, अक्श शजरा, जमाबन्दी सम्वत 2073–76, मिलान क्षेत्रफल भूप्रबन्ध विभाग एवं तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट पत्रांक/एलआर/22/4188 दिनांक 19.02.2022 का गहनता से अवलोकन किया। तहसीलदार बयाना ने अपनी उक्त रिपोर्ट में अंकित किया है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड खसरा नम्बर 1164 रकवा 0.04 है0 किस्म गै0मु0रास्ता छत्तरपाल पुत्र पूरन हिस्सा 1/2 व अशोक कुमार पुत्र पूरन हिस्सा 1/2 जाति जांगिड ब्रा0 सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मौके पर खसरा नम्बर 1164 में रास्ता बना हुआ है तथा ग्रामीणों द्वारा आवागमन के उपयोग में लिया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद–तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/4/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना